भाकृअनुप- राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान
ICAR- National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics
पोस्ट बॉक्स 6450, यलहंका, बेंगलुरु 560064, कर्नाटक

खुर पका और मुंह पका (एफएमडी)

खुर पका और मुंह पका (एफएमडी) मवेशियों, सूअर, भेड़ और बकरीयों में होने वाली एक विषाणुजनीत भयंकर रोग है। रोग प्रकोप को संकरीत और विदेशी नस्ल के पशुओं मे देशी नस्ल के पशुओ की तुलना में अधिक देखा गया है। रोग सामान्यत: संक्रमित पशुओं के सीधे संपर्क से या संक्रमित पानी, खाद, घास और चराई के माध्यम से फैलता है।

मुख्य लक्षण

- 2-3 दिनों तक चलने वाला तेज बुखार (104 – 106 ^{0} F)
- खुरों के बीच, निपल पर और मुंह के आसपास छालो और फफोलो का बनना
- मुख से अत्यधिक चिपचिपा या झागदार लार का बहना
- मुंह में दर्दनाक घावों के कारण चारे खाने में कमी
- कभी-कभी गर्भीत पशुओं में गर्भपात
- दुध में गिरावट

उपचार

- रोग के उपचार के लिए कोई सटिक दवा नही बनी है
- मुख और जीभ के छालो की पोटैसियम परमैगनेट से दिन में तीन बार सफाई करे और उन पर बोरो ग्लिसरीन या पोविडीन अयोडीन का लेप लगाए
- 4% धोने के सोडा घोल बनाकर या 2% कापर सल्फेट का घोल बनाकर पैरो को धोए और उनपर एंटी सेप्टिक का लेप लगाए
- ध्यान रखे की जख्मो पर मक्खिया ना बैठे
- पशुओं को तरल भोज तथा हरा चारा ही दे
- ज्वर कम करने के लिए Antipyretics व Antihistaminic की खुराक दे सकते है
- **रोग के लक्षण दिखाई देने पर उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करे**

टीकाकरण

- एफ़एमडी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा हर छह महीने में एक बार पशुओं को एफ़एमडी का टीका लगाया जाता है
- इसका टीका बाजार मे भी उप्लब्ध है
- टीके की पहली खुराक 4 महिने की उम्र पर लगवाए
- बुस्टर 4 सप्ताह बाद लगवाए
- टीके की मात्रा तथा पुन: टीकाकरण निर्माता टीका कंपनी के दिशा निर्देशानुसार ही लगवाए
- **अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करे**

रोग नियंत्रण

- बिना टीकाकरण किए पशुओं को पशु बाजार में न ले जाए
- अगर टीका लगा भी है तो लगने के 21 दिनो तक सावधानी बरते क्योकि इसके भीतर रोग होने की संभावना रहती है
- रोग प्रभावित स्थानो से पशुओ की खरीद न करे
- एफ़एमडी टीका किए हुए पशुओ की खरीद करे
- वाहनो को पशु शेड के पास न आने दे अगर जरूरी हो तो उसकी धुलाई करे
- पशु शेड के बाहर फूट बाथ का प्रयोग् करे

रोग होने की दशा मे

- रोग ग्रसित पशु को अन्य पशुओ से अलग कर दे
- उसके लिए अलग बर्तन ,चारा,पानी की व्यवस्था करे
- स्वस्थ पशुओ को दाना पानी करने के पश्चात ही बीमार पशुओ के पास जाए
- रोग ग्रसित पशु को बाहर चरने के लिए न भेजे न ही उन्हे तलाब मे पानी पीने दे
- पशु शेड की, संपर्क में आए बर्तनो और आसपास के वस्तुओं की 4 % धोने के सोडे का घोल बनाकर सफाई करे
- प्रभावित परिसर का कम से कम 30 दिनों के लिए इस्तेमाल नहीं करे

*****

संकलित और संपादित

डॉ. जी. गोविन्दराज, डॉ. जगदीश हीरेमठ, डॉ. अवधेश प्रजापति, डॉ. जी. एस. देसाई, डॉ. योगीशराध्या आर. डॉ.मंजूनाथ रेड्डी

प्रकाशक

निदेशक

भाकृअनुप- राष्ट्रीय पशुरोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान, पोस्ट बॉक्स-6450, यलहंका, बेंगलुरु-560064, कर्नाटक

फोन: 080-23093110, 23093111 फैक्स: 080- 23093222, वेबसाईट: www.nivedi.res.in, ईमेल: director.nivedi@icar.gov.in